

न्यायालय- द्वितीय अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, बांदा।

सरकार बनाम रामबाबू

दिनांक- 06.10.2022

आदेश

अभियुक्त की ओर से जमानत प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किया गया है।

सुना तथा उपलब्ध प्रपत्रों का परिशीलन किया गया। प्रार्थनापत्र का आधार पर्याप्त है। अतः मामले के तथ्य एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुये जमानत प्रार्थनापत्र स्वीकार किया जाता है।

द्वितीय अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
बांदा